छत्तीसगढ़ सूचना आयोग

निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़
शंकर नगर, रायपुर

<u>अपील प्रकरण कमांक 853/2007</u>

1. श्री अजय तिवारी, – *अपीलार्थी*
मोहभठ्ठा रोड़, बेमेतरा,
जिला- दुर्ग (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

1. *जन सूचना अधिकारी,* – *प्रति अपीलार्थी*
कार्यालय छ0ग0 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद,
पं0 रविशंकर विश्वविद्यायल परिसर,
रायपुर (छत्तीसगढ़)

//<u>आदेश</u>//

(दिनांक 18 मार्च, 2008)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री अजय तिवारी ने दिनांक 15.02.2007, 06.06.2007 एवं 16.07.2007 को जानकारी प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था, किन्तु समयावधि में जानकारी प्रदान नही करने के कारण उनके द्वारा प्रथम अपील दिनांक 16.07.2007 को प्रस्तुत की गई, उक्त प्रथम अपील दिनांक 14.08.2007 के आदेश से निरस्त किये जाने के कारण उससे असंतुष्ट होकर दिनांक 07.09.2007 को आयोग के समक्ष यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण से संबंधित रिकार्ड का अवलोकन किया गया एवं उभय पक्ष की सुनवाई की गई और प्रति अपीलार्थी की ओर से उनके विद्वान अभिभाषक को भी सुना गया । प्रकरण में आंशिक जानकारी दी गई है, किन्तु कुछ जानकारी तृतीय पक्ष से संबंधित होने के कारण नही दी गई है, अतः इस संबंध में तृतीय पक्ष को भी आयोग की ओर से सूचना पत्र जारी किया गया था, किन्तु उनकी ओर से कोई उपस्थित नही हुआ, अतः उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की जा रही है । प्रकरण में प्रति अपीलार्थी द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि वाणिज्यिक विश्वास के अन्तर्गत अधिनियम की धारा-11 एवं 8 के तहत् जानकारी को छूट प्राप्त है और तृतीय पक्ष द्वारा भी लिखित में आपत्ति दी गई थी, अतः इस कारण जानकारी नही दी गई । इस संबंध में अपीलार्थी द्वारा दो प्रकार की जानकारी नही दिया जाना बताया गया है, जिसमें एक तो निविदाओं के साथ दी गई वाणिज्यिक जानकारी और दूसरी तकनीकी जानकारी । तकनीकी जानकारी के संबंध में यह तर्क स्वीकार किया जा सकता है कि वह वाणिज्यिक विश्वास की

जानकारी है तथा परस्पर प्रतिद्वंदता पर फर्क पड़ता है, अतः उस जानकारी को छूट के अन्तर्गत लिया जा सकता है, किन्तु जहाँ तक वाणिज्यिक जानकारी का प्रश्न है वह निविदाओं में दी गई वाणिज्यिक जानकारी सबके सामने खोली जाती है और उसे दिये जाने पर कोई आपत्ति प्रतीत नही होती है । अतः यह निर्देश दिये जाते है कि जो भी निविदायें आई है, उनकी तकनीकी जानकारी को छोड़कर केवल वाणिज्यिक जानकारी 15 दिवस में निःशुल्क अपीलार्थी को प्रदान की जावे । चूंकि प्रकरण में किसी प्रकार की दुर्भावना नही थी, अतः शास्ति अथवा दुर्भावना की आवश्यकता प्रतीत नही होती है ।

3/ उपरोक्त निर्देशों के साथ उक्त अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है ।

(ए0के0 विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त